



न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

नगरानी-3128/2018/गुना/स्टाम्पअर्द्ध

प्र.क्र.

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड
द्वारा श्री योगेश लोधा आत्मज एस. एच लोधा
प्रबंधक-कानूनी और नियामक (म.प्र.- छ.ग.)
भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, मेट्रो टावर एच-3
चैथी मंजिल, इंदौर, म.प्र.
चतुर्थ मंजिल, मेट्रो टॉवर,
विजय नगर चौराहा, इंदौर(म.प्र)

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

- 1.म.प्र शासन द्वारा उपपंजीयक गुना
 - 2.श्रीमती कृष्णा बाई पति कैलाश नारायण शर्मा
- निवासी वार्ड क्रमांक 13,नारायण कॉलोनी आरोन गुनाअनावेदकगण
- पुनरीक्षण अंतर्गत 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1988

उक्त पुनरीक्षण अधिनस्त न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला गुना म.प्र द्वारा प्र क्र 09/बी-103/धारा48(ख)/2016-17 मे पारित आलोच्य अंतिम आदेश दिनांक 20/03/2018 के विरुद्ध दुखीत एवं परिवेदीत होकर आदेश की सत्य प्रतिलिपि की प्राप्ती दिनांक 02/05/2018 से समय अवधी में प्रस्तुत की जा रही है।

सुनील सिंह
प्रस्तुत दिनांक 02/05/18
प्रारम्भिक तर्क हेतु दिनांक 06/05/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
21-5-18



10/5/18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
प्रति. 2 से 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3128/2018/गुना/स्टाम्प अधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
14-8-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री सुनील जादौन अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष को सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश अपीलीय आदेश है अतः नये प्रावधान के अनुसार सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने हेतु प्रकरण आवेदक को वापिस किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>